<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0नं0:–972/2018</u>

दाउदनगर थाना कांड संख्या :–370/2018

<u>20.01.2022</u> आवेदकगण नामतः सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र यादव, लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्ष्मण यादव, सत्येन्द्र सिंह उर्फ सत्येन्द्र यादव, रंजन कुमार उर्फ रंजन यादव एवं गुड्डु कुमार उर्फ गुड्डु यादव की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई।

वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0नं0–70370/2019 में पारित आदेश दिनांक–23.12.2021 के आलोक में प्राप्त हुई है। उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करना चाहते है । अतः आवेदकगण को बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0नं0–70370/2019 में पारित आदेश दिनांक–23.12.2021 के आलोक में प्राप्त हुई है। जिसके अंतर्गत आवेदकगण को आदेश प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने या गिरफतारी के तहत उपस्थित होने पर व्यक्तिगत बंधपत्र पर विद्वान अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के संतुष्टि के आलोक में धारा 438(2) दं.प्र.सं. के तहत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है । आवेदकगण समय सीमा के अंतर्गत आत्मसमर्पण किये है ।

अतः उपरोक्त आवेदकगण को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में मो0–10000(दस हजार) रूपया के व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।